

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 83/2022

अनवान : -

1. राजपाल सिहाग पुत्र जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी खचवाना त० भादरा।
वादी

बनाम्


1. जसवन्त सिंह पुत्र आसराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. तेजपाल चौधरी पुत्र जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी खचवाना त० भादरा।
3. माया कुमारी पुत्री जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी खचवाना त० भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचन्द शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 1 एनटीआर के खाता सं० 118/60 के मु०न० 39 के किला न० 7 ता 9, 11, 17, 18/1, 23/1, 23/2, 24 की कुल 1.7710है० जिसमें 1.7680है० नहरी 0.0030है० गै०मु० रास्ता व चक 1 एनटीआर के ही खाता सं० 117/59 के मु०न० 39 के किला न० 6/2, 6/3, 6/4, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 मु०न० 46 के किला न० 3/2, 3/4, 4, 5/1, 5/2, 6/2, 6/3, 15, 16 की कुल 2.2770है० जिसमें 2.0980है० नहरी 0.0290 गै०मु० रास्ता 0.1500है० गै०मु० खाला प्रतिवादी सं० 1 जसवन्त सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं० 1 जसवन्त सिंह की बजाए वादी राजपाल सिहाग व प्रतिवादी सं० 1 जसवन्त सिंह व प्रतिवादी सं० 2 तेजपाल चौधरी को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/6/22..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से




(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० -83/2022

अनवान : -



1. राजपाल सिहाग पुत्र जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी खचवाना त० भादरा।
वादी

बनाम

1. जसवन्त सिंह पुत्र आसराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. तेजपाल चौधरी पुत्र जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी खचवाना त० भादरा।
3. माया कुमारी पुत्री जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी खचवाना त० भादरा।

प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :- श्री कपूरचन्द शर्मा वादी
श्री सुरेन्द्र बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 21/6/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एनटीआर के खाता सं० 118/60 के मु०न० 39 के किला न० 7 ता 9, 11, 17, 18/1, 23/1, 23/2, 24 की कुल 1.7710 है० जिसमें 1.7680 है० नहरी 0.0030 है० गै०मु० रास्ता व चक 1 एनटीआर के ही खाता सं० 117/59 के मु०न० 39 के किला न० 6/2, 6/3, 6/4, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 मु०न० 46 के किला न० 3/2, 3/4, 4, 5/1, 5/2, 6/2, 6/3, 15, 16 की कुल 2.2770 है० जिसमें 2.0980 है० नहरी 0.0290 गै०मु० रास्ता 0.1500 है० गै०मु० खाला प्रतिवादी सं० 1 जसवन्त सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा आसराम की खातेदारी हुआ करती थी। आसराम के बाद प्रतिवादी सं० 1 ने महज कर्ता खानदान के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी वादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में राजपाल सिहाग पुत्र जसवन्त के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी चक 1 एनटीआर कमश प्रदर्श 1 व 2 जमाबंदी खतौनी चक नेठराना प्रदर्श 3 ता 5 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 करवायें।


बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हरतगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 1 एनटीआर के खाता सं० 118/60 के मु०न० 39 के किला न० 7 ता 9, 11, 17, 18/1, 23/1, 23/2, 24 की कुल 1.7710है० जिसमें 1.7680है० नहरी 0.0030है० गै०मु० रास्ता व चक 1 एनटीआर के ही खाता सं० 117/59 के मु०न० 39 के किला न० 6/2, 6/3, 6/4, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 मु०न० 46 के किला न० 3/2, 3/4, 4, 5/1, 5/2, 6/2, 6/3, 15, 16 की कुल 2.2770है० जिसमें 2.0980है० नहरी 0.0290 गै०मु० रास्ता 0.1500है० गै०मु० खाला प्रतिवादी सं० 1 जसवन्त सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत जमाबंदियों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया सं० 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनटीआर के खाता सं० 118/60 के मु०न० 39 के किला न० 7 ता 9, 11, 17, 18/1, 23/1, 23/2, 24 की कुल 1.7710है० जिसमें 1.7680है० नहरी 0.0030है० गै०मु० रास्ता व चक 1 एनटीआर के ही खाता सं० 117/59 के मु०न० 39 के किला न० 6/2, 6/3, 6/4, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 मु०न० 46 के किला न० 3/2, 3/4, 4, 5/1, 5/2, 6/2, 6/3, 15, 16 की कुल 2.2770है० जिसमें 2.0980है० नहरी 0.0290 गै०मु० रास्ता 0.1500है० गै०मु० खाला प्रतिवादी सं० 1 जसवन्त सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं० 1 जसवन्त सिंह की बजाए वादी राजपाल सिहाग व प्रतिवादी सं० 1 जसवन्त सिंह व प्रतिवादी सं० 2 तेजपाल चौधरी को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया




(शंकरजी चौधरी) (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला अधिकारी) (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़